



राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन), विद्युत भवन, जयपुर

Phone No.0141-2740381 Ext.1517& 1621,2740591

पत्र कं. रा.रा.वि.प्र.नि.लि. / व.ले.अ. (पेंशन) /बैंक/ फा. डि. 1193 दिनांक 17.10.17

परिपत्र

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल/ निगम पेंशनर्स हेतु

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पेंशन नियम 1988 के अनुसार समस्त पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष के नवम्बर माह में निम्न प्रमाण-पत्र पेंशन प्राप्त करने हेतु पेंशन भुगतान अधिकारी को नियमानुसार देना अनिवार्य है।

पेंशनर्स हेतु:-

1. जीवित होने का प्रमाण-पत्र
2. अधिक भुगतान व उसकी वसूली का शपथ-पत्र

पारिवारिक पेंशनर्स हेतु:-

1. जीवित होने का प्रमाण-पत्र
2. पुनर्विवाह करने या अविवाहित रहने का प्रमाण-पत्र
3. बेरोजगारी का प्रमाण-पत्र
4. अधिक भुगतान व उसकी वसूली का शपथ-पत्र

उपरोक्त प्रमाण-पत्र नवम्बर माह की अन्तिम तिथि तक प्राप्त न होने की दशा में पेंशन का भुगतान आगामी जनवरी माह से रोक दिया जायेगा।

Madhu

मुख्य लेखाधिकारी (P&F-C)

रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सचिव (प्रशासन), रा.रा.वि.प्र.नि.लि. जयपुर
2. श्रीमान् मुख्य लेखा नियंत्रक, रा.रा.वि.प्र.नि.लि. जयपुर
3. श्रीमान् आन्तरिक अंकेक्षण नियंत्रक, रा.रा.वि.प्र.नि.लि. जयपुर
4. श्रीमान् क्षेत्रीय मुख्य लेखाधिकारी, रा.रा.वि.प्र.नि.लि. जयपुर/ अजमेर/ जोधपुर
5. डाटा सेन्टर, विद्युत भवन, जयपुर को वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।

Sanjay
वरिष्ठ लेखाधिकारी (Pension)

रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम (RRVPL)

की पेंशन पाने वाले व्यक्ति द्वारा पेश किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

बचत खाता संख्या

जीवित रहने का प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ की मैंने पेंशन अदायगी आदेश संख्या-..... के अधीन पेंशन पाने वाले श्री/श्रीमती.....(पेंशन पाने वाले का नाम) को देखा है और वह आज की तारीख.....में जीवित है।

पेंशन पाने वाले के हस्ताक्षर

प्रमाणित करने वाले राजकीय अधिकारी के
हस्ताक्षर मय सील

प्रमाणित करने वाले का नाम:.....

नौकरी नहीं करने का प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने नवम्बर.....से अक्टूबर.....तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ किसी सरकारी उपक्रम/ स्थानयी निधि की स्थापना में किसी हैसीयत से सेवा करने के लिए रकम प्राप्त नहीं की है।

अथवा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने सरकार की अनुमति से /सरकार की अनुमति के बिना वाणिज्य संस्थान की सेवा स्वीकार की है।

दिनांक:

पेंशन पाने वाले के हस्ताक्षर
नाम:

पुर्न विवाह करने/ पुर्न विवाह न करने का प्रमाण-पत्र

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ की मैंने पिछले एक वर्ष में विवाह नहीं किया है।

पेंशन पाने वाले के हस्ताक्षर
नाम:

मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जहाँ तक मुझे विश्वास है उपयुक्त कथन सही है।

दिनांक:

जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम:
पद:

अधिक भुगतान व उसकी वसूली

मुझे अधिक भुगतान होने की स्थिति में उसे वापिस लौटाने के लिए कटिबद्ध हूँ तथा मैं अपने उत्तराधिकारियों पर भी इस भुगतान को चुकाने का उत्तरदायित्व सौंपता/ सौंपती हूँ। मैं इस पेंशन के अलावा दूसरी पेंशन प्राप्त करता हूँ/ करती हूँ/ नहीं करता हूँ/ नहीं करती हूँ/

पेंशन पाने वाले के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

मोबाइल न.